न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधकारी --डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 07/2021

तारीख रजू 17.02.2021

सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खण्डार

..........प्रार्थी

बनाम

प्रेम धर्म पत्नि छोट्या जाति हरिजन निवासी ग्राम पाली तह0 खण्डार

.......अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 13-05-2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) खण्डार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1999 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी प्रेमधर्म पत्नि छोट्या जाति हरिजन निवासी ग्राम पाली तह0 खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 493/260 रकबा 1.19 बीघा वाके ग्राम पाली में आदेश दिनांक 25/06/1999 को आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा रकबा 493/260 रकबा 1.19 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत पाली व पटवारी हल्का पाली की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी बाद तामिल अनुपस्थित। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि खसरा नम्बर 493/260 वाके ग्राम बैरना रकबा 1.19 बीघा की भू- निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 09/01/2021 के अनुसार मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है तथा आवंटन के समय से ही अब तक मौके पर कब्जा होना नहीं पाया गया है। विद्वान पेरोकार सरकार द्वारा पुनःश्च तर्क किया गया कि खसरा गिरदावरी के अनुसार सम्वत 207[illegible] के अनुसार उक्त भूमि लगातार पड़त पड़ी हुई है जो कि आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। अन्त में वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थी को जारी नोटिस क्रमांक 222 दिनांक 01/03/2021 बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात भी अप्रार्थी प्रेमधर्म पत्नि छोट्या जाति हरिजन निवासी ग्राम पाली तह0 खण्डार नियत दिनांक 30/03/2021 को तथा नियत तारीख पेशी के पश्चात भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई तथा न हीं अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अतः अप्रार्थी के न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 30/03/2021 के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी प्रेमधर्म पत्नि छोट्या जाति हरिजन निवासी ग्राम पाली तह0 खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 493/260 में से रकबा 1.19 बीघा आवंटित किया गया था। यह है कि आवंटित शुदा भूमि का गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 1115 दर्ज होकर दिनांक 28/07/1999 को स्वीकार हुआ। भू अभिलेख निरीक्षक पाली एवं पटवारी हल्का पाली की मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर–खातेदार प्रेमधर्म पत्नि छोट्या जाति हरिजन निवासी ग्राम पाली तह0 खण्डार का खसरा सं0 493/260 रकबा 1.19 बीघा पर मौके पर आवंटन के समय से ही मौक पर कब्जा काश्त नहीं है। एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी चौसाला सम्वत 2076 – 79 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 493/260 वाके ग्राम पाली पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 25/06/1999 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पाली के आराजी खसरा नम्बर 493/260 रकबा 1.19 बीघा को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 18-05-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तामील शामिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:39 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर